विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–233/2023

भवानी दत्त पाण्डेय परिवादी
आर.के. टैन्ट हाउस रोड,
दुर्गा विहार कालौनी, फेज–1,
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांकित 18.08.2023 में कहा गया है कि प्रार्थी आर.के. टैंट हाउस रोड दुर्गा विहार कालोनी फेज 1, कुसुमखेडा, हल्द्वानी जिला नैनीताल का निवासी है। उसका विद्युत संयोजन संख्या–3920352073069 भवानी दत्त पाण्डेय नाम से दर्ज है। उसका प्रत्येक दो माह का विद्युत बिल औसतन 120–150 यूनिट के लगभग आता रहा है। किन्तु विगत चार माह से उसका विद्युत बिल क्रमशः ₹ 898.00 व ₹ 1627.00 आ रहा है। जो कि बहुत अधिक प्रतीत होता है। महोदय उसके द्वारा पूर्व की तरह ही विद्युत का उपभोग किया जा रहा है तथा अन्य कोई भी नया विद्युत उपकरण नहीं लगाया गया है। अंतिम बिल आने के पश्चात् उसके द्वारा मीटर चैक किया गया तो मीटर की डिसप्ले में कुछ भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। जिसके पश्चात उसके द्वारा टोल फ्री नं0 1912 में मीटर खराब होने

क्रमशः

सम्बन्धित शिकायत दर्ज की गयी है, जिसका शिकायत नं0–21308230064 है। महोदय उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह उक्त बिल जमा करने में असमर्थ है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उसका पूर्व की भांति ही औसतन लगभग 120 से 150 यूनिट का बिल के अनुसार वर्तमान बिल में संशोधन करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 28.08.2023 में कहा गया है कि शिकायकर्ता का खराब विद्युत मापक दिनांक 26.08.2023 को बदला जा चुका है जिसके सीलिंग प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है(कागज संख्या–3/1)।
3. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 06.09.2023 में कहा गया है कि मंच द्वारा परिवादी के पुराने मापक की त्रुटि अवधि से नया मापक स्थापित किए जाने की समयावधि का संशोधित बिल जारी करने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता की बिल हिस्ट्री (कागज संख्या–5/1 से 5/2) का अवलोकन करने पर पाया गया है कि शिकायतकर्ता को मापक बदलने से पूर्व सभी बिल MU में प्रेषित किये गये है।
4. मंच द्वारा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत परिवादी का मीटर बदलने का सीलिंग प्रमाण पत्र एवं कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया। सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 26.08.2023 को परिवादी का मापक बदल गया। मापक बदलते समय पुराने मापक की रीडिंग 7344 तथा नए मापक की शून्य दर्ज है। दूसरी तरफ कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 11.08.2023 को परिवादी को प्रेषित बिल में मीटर की वर्तमान रीडिंग 7589 अंकित है। सीलिंग प्रमाण पत्र एवं कंज्यूमर हिस्ट्री में इसी विरोधाभास के चलते मंच द्वारा विपक्षी को संशोधित बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था परन्तु विपक्षी द्वारा सभी बिल MU में प्रेषित किए जाने की टिप्पणी करते हुए संशोधित बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी के अभिलेखों से स्पष्ट है कि दिनांक 11.08.2023 को जो बिल परिवादी को दिया गया वह 7589 यूनिट तक का था जबकि 26.08.2023 को परिवादी के मीटर की रीडिंग 7344 थी अर्थात 11.08.2023 को प्रेषित बिल संशोधित होने योग्य है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी को जारी बिल दिनांकित 11.08.2023 को निरस्त किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की दिनांक 12.06.2023 से 26.08.2013 तक का बीजक 116 यूनिट (7344–7228=116 यूनिट) खपत के आधार पर जारी करें तथा 26.08.2023 के बाद के बीजक नये मीटर की वास्तविक खपत के आधार पर जारी किये जायें। विपक्षी 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी

क्रमशः

आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–06/9/2023

06/09/23 (हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	06/9/2023 (पी सी पाण्डेय) सदस्य (तकनीकी)	06/09/2023 (टीकाराम जोशी) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः–06/9/2023

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(पी सी पाण्डेय) सदस्य (तकनीकी)	(टीकाराम जोशी) सदस्य (न्यायिक)